प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:07.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स नवजीवन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मामले में दिनांक 19/01/2024 के अनंतिम जब्ती आदेश द्वारा 14. 95 करोड़ रुपए मूल्य की 18 अचल संपत्तियों और शेयर प्रमाणपत्र, वाहन, बैंक खाते आदि सहित विभिन्न चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त किया है।

ईडी ने मैसर्स नवजीवन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के विरुद्ध स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), जयपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना *2010* में हुई थी और यह एक बहु-राज्य सोसाइटी है और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नई दिल्ली के से पंजीकृत है। सोसायटी का मुख्य कार्यालय बाड़मेर में और केंद्रीय कार्यालय जयपुर में है। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करने और अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई थी।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के राजस्थान और गुजरात में 1.93 लाख (लगभग) सदस्य थे। नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से (अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर) सहकारी सोसाइटी के कानूनों का उल्लंघन किया और अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों/करीबी सहयोगियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों में अवैध रूप से भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की तथा स्थानांतरण किया। परिणामस्वरूप, वे परिपक्वता अवधि के बाद भी निर्दोष सदस्यों/निवेशकों का निवेश वापस करने में विफल रहे। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि सोसायटी पर लगभग 390 करोड़ रुपए का सार्वजनिक धन बकाया है, जो निर्दोष निवेशकों को उनके निवेश पर अवास्तविक रिटर्न का वादा करके प्राप्त किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने 11/12/2021 को राजस्थान (5) और गुजरात (1) में 06 परिसरों पर भी तलाशी की थी। तदोपरांत, ईडी ने 11/12/2021 को जय नारायण शर्मा, निज़ामुद्दीन और 06/02/2024 को संतोष कुमार जोशी नामक तीन धोखेबाजों को गिरफ्तार किया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।